बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 235740   पटना, दिनांक 24/06/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जीर्णोद्धार)-143/2011

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित SC/ST के नगर क्षेत्र में परिवर्तित परिवारों को मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना का लाभ की अनुमान्यता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वैसे लाभुक जिन्होंने योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त कर इंदिरा आवास का निर्माण लिंटल स्तर तक करा लिया है किन्तु छत का निर्माण नहीं होने से उनका इंदिरा आवास अधूरा/अपूर्ण है, को छत निर्माण कराकर पूर्ण कराने के लिए मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत प्रति लाभुक 30,000 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत है ।

चूँकि यह योजना दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभुक के लिए है और इस योजना की स्वीकृति 2014-15 में प्रदान की गयी है, अतएव यह संभावना है कि इस लंबी अवधि के बीच ग्राम पंचायत अथवा उनके कुछ वार्ड अथवा उनके कुछ अंश नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अंतर्गत अधिसूचित हो गये हों तथा नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो जाने के कारण इन क्षेत्रों में वास करने वाले इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अधूरे/अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से चलायी जा रही मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना का लाभ देने में कठिनाई हो । इस आशय की सूचना जिलों से भी प्राप्त हो रही है ।

यदि इन परिवारों को ग्रामीण विकास विभाग की योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं कराया जाता है तो वैसी स्थिति में पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में आवासित रहने परन्तु वर्तमान में शहरी क्षेत्र में अधिसूचित हो जाने के कारण उनका इंदिरा आवास अधूरा/अपूर्ण रह जायेगा और इन गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के समक्ष आवास की समस्या ज्यों-कि-त्यों बनी रह जायेगी ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में ऐसे परिवारों की समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार जो पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते थे परन्तु बाद में शहरी क्षेत्र (नगर निगम/निकाय /नगर पंचायत) क्षेत्र में अधिसूचित हो गये तथा मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनानतर्गत लाभ पाने के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हों का सर्वेक्षण कराकर विभाग को दिनांक 30.06.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ताकि इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जा सके ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 23/6/15

(प्रदीप कुमार)
सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\MAY 1254.doc